न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :— 06/2020
GCMS NO. 2020/00009

शिवराम सिंह पुत्र श्री बुजाराम उम्र 79 वर्ष जाति जाट निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0) **(मृतक)**

1/1. बलवीर पुत्र शिवराम सिंह
1/2. रणवीर पुत्र शिवराम सिंह
1/3. मुकेश पुत्री शिवराम सिंह
जाति जाट निवासी ढाका माण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................प्रार्थी/आवेदक

— ब ना म —

1. ईश्वर लाल पुत्र श्री ख्यालीराम उम्र 50 वर्ष
2. घनश्याम पुत्र श्री ख्यालीराम उम्र 65 वर्ष
3. मनोज पुत्र श्री लीलाराम उम्र 35 वर्ष
4. मोहनलाल पुत्र श्री ख्यालीराम उम्र 50 वर्ष
5. रामप्रताप पुत्र श्री नानूराम उम्र 80 वर्ष
6. विजय कुमार पुत्र श्री लीलाराम उम्र 50 वर्ष
   जाति ब्राहमण निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
7. बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण शाखा बुहाना
8. दामोदर प्रसाद पुत्र श्री झण्डाराम उम्र 50 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद मीरा चौक एस.एस.बी. रोड़ गली न. 6 श्री गंगानगर जिला गंगानगर (राज.)
9. धनपत पुत्र श्री झण्डाराम उम्र 52 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद मीरा चौक एस.एस.बी. रोड़ गली न. 6 श्री गंगानगर जिला गंगानगर (राज.)
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

..........अप्राथीगण/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत ...

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपस्थित :—

1. श्री राजेश कुमार — अभिभाषक — प्रार्थीगण
2. श्री अशोक कुमार
3. श्री मनोज कुमावत
4. श्री मुकेश चौधरी — अभिभाषक — अप्रार्थी सं. 1 से 5, 3, 9
5. श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत

— निर्णय — दिनांक :— 12.[illegible].2025

उपर्युक्त रास्ता प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक 13.04.2020 को इस आशय का पेश किया गया है कि :—

1. यह कि वाके ग्राम ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) स्थित भूमी ख.न. 264 रकबा 3.70 हैक्टर का खातेदार आवेदक है जो अपनी खातेदारी की भूमी पर काबिज है एवं काश्त करता है।
2. यह कि वाके ग्राम ढाकामाण्डी स्थित भूमी ख.न. 282 के मध्य रास्ता है इस रास्ता व आवेदक की भूमी ख.न. 264 के मध्य ख.न. 298/263 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि अनावेदक स. 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थी स. 3 व 6 ने अप्रार्थी स. 7 से अपने हिस्से पर ऋण ले रखा है तथा अप्रार्थीगण स. 5 ने अप्रार्थी स.10 से ऋण ले रखा है। तथा ख.न. 299/263 रकबा 0.43 हैक्टर भूमी भी रास्ता ख.न. 282 एवं आवेदक के खेत ख.न. 264 के मध्य स्थित है जिसके खातेदार अनावेदक स. 8 व 9 है।
3. यह कि आवेदक की भूमी ख.न. 264 रकबा 3.70 हैक्टर में उक्त भूमि को काश्त करने फसल काटने लाटने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था रास्ते की है। उक्त भूमी के लिए आवेदक को रास्ता की आवश्यकता है।
4. यह कि ख.न. 264 रकबा 3.70 हैक्टर के पश्चिम में ख.न. 298/263 एवं ख.न 299/263 की सीमा पर से आवेदक को ख.न. 282 तक 15 फिट चौड़ा रास्ता की आवश्यता है। जिससे की प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमी में प्रवेश कर सके फसल काश्त कर सके एवं फसल की उपज को काटने लाटने के लिए जा सके। खसरा नम्बर 264 आवेदक की भूमी एवं ख.न. 282 रास्ते के मध्य सबसे सुगम स्थल एवं नजदीक एवं सबसे कम संख्या खातेदारो की भूमी ख.न. 298/263 एवं 299/263 ही लगती है इसलिए उक्त दोनो खसरा नम्बरो की भूमी की सीमा के उपर से दोनों तरफ साढे सात + साढे सात फिट चौडाई में खसरा न. 264 के लिए रास्ता की आवश्यता है। आवेदक उक्त रास्ते के काम आने वाली भूमी के बाबत नियमानुसार डी.एल.सी. रेट की बाजार कीमत जो भी न्यायालय श्रीमानजी आदेश दें उक्त राशि का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर हैं।
5. यह कि आवेदक की भूमी को रास्ता नहीं होने से आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता हैं।
6. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवादित वर्णित भूमी ख.न. 264 रकवा 3.70 हैक्टर में फसल कास्त करने फसल काटने लाटने के लिए रास्ता नही होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

एंव अनावेदकगण द्वारा सहमति से अथवा करार से रास्ता नहीं देने से पैदा हुआ हैं।

7. यह कि भूमी ख.न. 264 एवं ख.न. 298/263 ख.न. 299/263 ग्राम ढाकामाण्डी में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
8. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामें पेश हैं।
9. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।
10. यह कि आवेदन पत्र दोहरी प्रति में है तथा समस्त अपडेटेड रिकॉर्ड आवेदन पत्र के साथ पेश हैं।
11. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** :– वाके ग्राम ढाकामाण्डी स्थित भूमि ख.न. 264 रकबा 3.70 है0 के लिए ख.न. 298/263 एवं ख.न. 299/263 की सीमा पर से 15 फीट चौडा रास्ता ख.न. 262 तक दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी सं. 11 को दिया जाकर मौके पर उक्त रास्ता कायम किये जाने का आदेश अप्रार्थी सं. 11 को दिये जाने की कृपा करें।
12. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 7 व 10 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
13. अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8, 9 की ओर से दिनांक 15.01.2021 को इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :–
14. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 1 मे ख० न० 264 रकबा 370 है० का खातेदार आवेदक होना स्वीकार है लेकिन इस ख० न0 264 से सटते हुए ख० न0 292/266 रकबा 0.40 है० का खतोदार भी आवेदक है जिसका वर्णन इस खण्ड में जान बुझकर नही किया गया है।
15. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 2 जिस भांती दर्ज है अस्वीकार है ख० न0 262 जो रास्ता दर्ज है जो आगे चलकर ख० न0 261 भी दर्ज है आवेदक की भूमि ख० न0 292/266 के उतरी में सटता हुआ ख० न० 266 है उसमें से गुजरता है इस रास्ते की मौके पर स्थिती बदली हुई है उक्त रास्ता मौके पर पश्चिम तरफ दुरी पर है जिसको नक्शे में अलग तरह से दिखाया गया है आवेदक के लिए सबसे सुगम व नजदीकी रास्ता ख० न० 266 के पश्चिम सीमा के सहारे सहारे उतर से दक्षिण में ख० न0 292/266 तक है उक्त ख० न0 266 के खातेदार व वादी पूर्व में एक ही पूर्वज की संतान रहे। रास्ता मौके पर यही से नजदीक लगता है अनावेदक सं. 1 से 5 के पास ... 0... है0 भूमि व अनावेदक स० 7, 8 के पास 0.43 है० भूमि ... के लिए ... रास्ता कायम करने पर काश्त करने लायक भी रकबा नहीं बचता है मौके पर ख० न0 298/263, 299/263 के मध्य रास्ता दूरी पर स्थित है रास्ता मौके पर पश्चिम की तरफ है ख० न0 266

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुन्झुनूं (राज.)

कि पश्चिम सीमा के सहारे सहारे ख० न0 292/266 तक रास्ता नजदीक लगता है।

16. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 3 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है आवेदक कभी से ख० न0 268 उतरी पश्चिम कौने से दक्षिण के ख० न0 266 से होते हुए ख० न0 292/266 में आते है तथा ख० न0 292/266 में आते है तथा ख० न0 292/266 व 264 की खातेदारी आवेदक के नाम से है उक्त रास्ते से ही सदा से आवागमन करते है अब भी इस भूमि में से आते है ट्रैक्टर, उट गाडी लेकर जाते है इस प्रकार आवेदक के पास शुरू से ही वैकल्पित रास्ता मौजुद है तथा इस रास्ते से ख० न0 268, 266 के खातेदार भी अपनी भूमि में आवागमन करते है अपनी फसल कास्त करते है अनावेदक जबाब के साथ नजरी नक्शा पेश कर रहे है जिसमें मार्क ए से वैकल्पि रास्ता दर्शाया गया है तथा मार्क बी से आवेदक की भूमि के नजदीक रास्ता जो लगता है उसको दर्शाया गया है नजरी नक्शा जबाब का भाग रहेगा।

17. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 4 जिस भांती दर्ज है अस्वीकार है आवेदक के लिए सबसे सुगम व नजदीक से ख० न० 266 के पश्चिम सीमा के सहारे उतर से दक्षिण तक रास्ता कायम किया जाना सही है तथा उक्त रास्ता नजदीक है मौके पर आवेदक की भूमि ख० न० 298/263 व 299/263 के पश्चिमी रास्ता में मौके पर दूरी पर स्थित है आवेदक के पास पूर्व से ही वैकल्पि रास्ता मौजुद है ख० न0 268 के पश्चिम तरफ ख० न0 266 में से होंते हुए ख० न0 292/266 में से आवागमन करते है अनावेदक की भूमि के पश्चिम में जो ख० न0 262 रास्ता है वो मौके पर पश्चिम तरफ दूरी पर है जबकि ख० न० 266 के पश्चिम सीमा के उपर से उतर में स्थित रास्ते से दक्षिण में स्थित आवेदक की भूमि ख० न० 292/266 तक रास्ता सबसे नजदीक से सुगम है जिसको नजरी नक्शे में मार्क बी से दर्शाया गया है ख० न० 266 आवेदक के पूर्वज एक ही परिवार के सदस्य रहे है अनावेदक के पास कास्त हेतु 0.32 है0 व 0.42 है0 ही भूमि है यदि उक्त भूमि में से रास्ता कायम कर दिया जाता है तो अनावेदक के पास कास्त करने योग्य भूमि ही शेष नहीं रहेगी। और आवेदक के पास ख० न0 266 में से नजदीक से रास्ता लगता है उसी तरफ रास्ता दिया जाना आवश्यक है आवेदक ने जान बुझकर इनको पक्षकार नहीं बनाया है तथा यह भी दर्ज कर दिया है कि अनावेदक की संख्या कम होने से यहां से रास्ता लेने हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

18. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं० 5 जिस भांती दर्ज है अस्वीकार है आवेदक के पास ख० न0 268 व 266 के मध्य से रास्ता मौजूद है इसी रास्ते से इस भूमि के खातेदार भी अपनी भूमि तक आते जाते हैं तथा आवेदक ने ख० न0 266 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: Self Attested

रास्ता नजदीक लगता है उस जगह से रास्ता का वाद पेश नहीं किया है इसलिए आवेदक को कोई अपूर्तनीय क्षति नही हो रही है।

19. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड सं० 6 जिस भांती दर्ज है अस्वीकार है आवेदक के पास अपनी फसल कास्त करने हेतु ख० न0 266 में से रास्ता है लेकिन जान बुझकर उसको पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए उक्त आवेदन पत्र चलने योग्य नही है।

20. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 7 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसमें उतर की आवश्यकता नही हैं

21. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 8 स्वीकार है।

22. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

23. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड स० 10 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

24. **अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–** आवेदक का आवेदन पत्र खारिज किया जावे आवेदक के लिए ख० न0 266 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता नजदीक लगता है उनको पक्षकार बनाया जाकर रास्ता कायम करवाया जावे।

25. तहसीलदार बुहाना से उनके पत्रांक भू.अ./2024/2614 दिनांक 22.10.2024 से मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भू0अ0निरीक्षक वृत खान्दवा दिनांक 15.10.2024 प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है :–

26. वादी के खसरा नम्बर 264 रकबा 3.70 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 292/266 रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है। जिसकी खातेदारी शिवसिंह पुत्र बुजा के नाम है।

27. वादी का कब्जा खसरा नम्बर 264 पर है। खसरा नम्बर 292/266 पर कब्जा वादी का नहीं है। बल्कि खातेदारी वादी के नाम है।

28. वादी खसरा नम्बर 264 में जाने का रास्ता चाहने के लिए सक्षम न्यायालय में 251 (क) के तहत दावा किया है।

29. वादी की खातेदारी भूमि से सबसे नजदीकी दूरी उपर्युक्त नक्शे के अनुसार A E है जो 44 मीटर है तथा A E से लगने वाले रास्ते में जाने वाला रकबा 44X4.57= 201.08 हेक्टेयर है। वादी द्वारा 15 फिट का रास्ता चाहा गया है।

30. वादी के कब्जे की खातेदारी भूमि से सबसे नजदीक की दूरी H I है जिसकी दूरी 61 मीटर है तथा H I से लगने वाले रास्ते में जाने वाला रकबा 61X4.57= 278.77 हेक्टेयर है।

31. वादी के कब्जे से F A की दूरी 72 मीटर [illegible] F A से लगने वाले रास्ते में जाने वाला रकबा 72X4.57= 329.04 हेक्टेयर है।

32. वादी द्वारा 15 फिट अर्थात 4.57 मीटर रास्ता [illegible] गया है।

33. प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में [illegible]ल जमाबन्दी संवत 2075–2078 खाता संख्या नया 76, 57, 28, खसरा गिरदावरी संवत 2072–2074 खसरा नम्बर 73, 188, 264, 292/266 व नजरी नक्शा तथा नकल नक्शा ट्रेस सन् 1977–78

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व ग्राम ढाकामाण्डी पेश हुये। फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] व [illegible] पेश किये गये। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी राजस्व साक्ष्य अभिलेख पेश नहीं हुआ।

34 अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

35 पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

36 **विचारणीय बिन्दु** :— क्या प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

37 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थी भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/2614 दिनांक 22.10.2024 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत खान्दवा दिनांक 15.10.2024) से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी को अपनी जोत (हॉलिंग) खसरा नम्बर 264 में पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है। प्रार्थी के पास प्रस्तावित नवीन/नये रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत खसरा नम्बर 264 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 298/263 रकबा 0.32 हेक्टेयर ग्राम ढाकामाण्डी में से प्रस्तावित (नजरी नक्शा में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम एवं लघुतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 279 वर्ग मीटर बनता है।

38 प्रार्थी के द्वारा अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने दोनों ही अधिकार प्रदत्त करती है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

39. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान बखूबी लागू होने से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

40. अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 22.10.2024 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत खान्दवा दिनांक 15.10.2024) के प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम ढाकामाण्डी पटवार हल्का झांझा तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी की एकांकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 264 में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम ढाकामाण्डी पटवार हल्का झांझा तहसील बुहाना स्थित अप्रार्थी संख्या 6 की एकांकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 298/263 रकबा 0.32 हेक्टेयर, में से नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत खान्दवा दिनांक 15.10.2024 (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थी संख्या 6 की एकांकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 298/263 रकबा 0.32 हेक्टेयर में से 61 X 4.57 = 278.77 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC 12,50,000/–रूपये (अधिकतम) की दर से खसरा नम्बर 298/263 के रकबा 279 वर्ग मीटर भूमि की दुगुनी राशि 69,750/–(अक्षरे उन्हेतर हजार सात सौ पचास) प्रार्थी/प्रार्थीगण तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगें। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 298/263 के खातेदार/अप्रार्थी संख्या 6 को प्रतिकर की राशि 69,750/–रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। तद्नुसार भूमि खसरा नम्बर 298/263 के रकबे में से रास्ते की बाबत 279 वर्ग मीटर (0.0279 हेक्टेयर) भूमि निर्वापित कर रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म **"गैर मुमकीन रास्ता"** के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में अभिलिखित करेगें। उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 298/263 के रकबा 279 वर्ग मीटर का बैंक रहन उक्त खसरा के शेष रकबा पर स्थानान्तरित करें।

41. निर्णय आज दिनांक **02.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)